कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 266/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 09.07.2026

साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

विदेशी साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल फोन, 03 एटीएम कार्ड एवं ₹2,020 नगद बरामद

टेलीग्राम के माध्यम से साइबर अपराधियों के संपर्क में आकर लालच में दिया था अपना बैंक खाता, साइबर ठगी की धनराशि निकालकर दूसरे खातों में करता था ट्रांसफर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान **"साइबर ठगी के जड़ में वार"** के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 09.07.2026 को साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय पुलिस टीम पर प्राप्त संदिग्ध एटीएम आईडी एवं एनसीआरपी शिकायत संख्या **31504260009960** की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान संदिग्ध बैंक खाता संख्या **921010027302472** के खाताधारक **यशवीर सिंह** को पूछताछ हेतु साइबर सेल बुलाया गया। पूछताछ में प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

यशवीर सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कड़सारी गौतम, पोस्ट निरंजनपुर, जनपद बस्ती, उम्र लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी :

- 01 अदद आईफोन-16 (काला रंग)
- 03 अदद एटीएम कार्ड (एचडीएफसी, एयरटेल पेमेंट बैंक एवं एसबीआई)
- ₹2,020 नगद (साइबर ठगी से संबंधित धनराशि)

पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य :

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसका संपर्क टेलीग्राम के माध्यम से साइबर अपराधियों से हुआ था। उन्होंने अधिक धन कमाने का लालच देकर उससे उसका बैंक खाता प्राप्त किया। साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि उसके खाते में भेजी जाती थी, जिसे वह एटीएम से निकालकर कमीशन रखने के बाद शेष धनराशि साइबर अपराधियों द्वारा बताए गए अन्य खातों में सीडीएम मशीन के माध्यम से जमा कर देता था। बाद में बैंक द्वारा खाता होल्ड किए जाने पर उसका साइबर अपराधियों से संपर्क समाप्त हो गया।

जांच में बरामद नगद धनराशि के संबंध में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि यह साइबर ठगी से प्राप्त रकम का शेष भाग है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के मोबाइल, बैंक खातों, डिजिटल साक्ष्यों तथा अन्य संभावित साइबर अपराधियों के नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम पर धारा **317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ओटीपी अथवा इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी को उपलब्ध न कराएं। किसी भी प्रकार के लालच में आकर अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराना भी दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन **1930** अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 09.07.2026
साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

फर्जी फर्म के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगी की धनराशि उपलब्ध कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल फोन व नगदी बरामद

229 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़े बैंक खाते का खुलासा, साइबर सेल ने अभियुक्त को दबोचा

साइबर अपराधियों के कहने पर फर्जी फर्म के नाम से करंट खाता खुलवाया, कमीशन के लालच में साइबर ठगी की धनराशि का लेन-देन करता था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान **"साइबर ठगी के जड़ में वार"** के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 09.07.2026 को साइबर सेल पुलिस टीम पर प्राप्त संदिग्ध बैंक खाता संख्या **44509285469** से संबंधित एनसीआरपी शिकायतों में प्रदर्शित चेक, एटीएम एवं यूपीआई ट्रांजेक्शन की जांच कर रही थी। जांच के दौरान संदिग्ध खाताधारक **रवि कुमार** को पूछताछ हेतु साइबर सेल बुलाया गया। पूछताछ एवं उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

रवि कुमार पुत्र श्रीराम प्रसाद, निवासी फत्तनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी :

- 01 अदद HUAWEI मोबाइल फोन
- ₹1,910 नगद (साइबर ठगी से संबंधित धनराशि)

पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य :

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वर्ष 2025 में उसने अपने साथी **जितेन्द्र कुमार** के कहने पर **आर.जे. इन्फ्रा** नाम से एक फर्जी फर्म बनाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरबंशपुर शाखा में करंट खाता खुलवाया था। खाता खुलवाने के बाद पासबुक, चेकबुक एवं एटीएम कार्ड अपने साथी को सौंप दिए। बदले में उसे पहले ₹15,000 तथा बाद में ₹5,000 कमीशन मिला। उक्त खाते का उपयोग साइबर ठगी की धनराशि प्राप्त करने एवं उसके लेन-देन के लिए किया जाता था। बैंक से खाते पर साइबर शिकायत की जानकारी मिलने पर उसका अपने साथी से विवाद हो गया, जिसके बाद साथी फरार हो गया।

अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद ₹1,910 साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि का शेष भाग है। पुलिस द्वारा फरार आरोपी, बैंक खातों एवं पूरे साइबर नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम पर धारा **317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़
3.

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपना बैंक खाता, चेकबुक, एटीएम कार्ड अथवा बैंकिंग सुविधाएं किसी अन्य को उपयोग के लिए न दें। कमीशन अथवा अधिक लाभ के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराना भी साइबर अपराध में सहभागिता है और इसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन **1930** अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 09.07.2026

थाना – साइबर क्राइम, जनपद – आजमगढ़

इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी का पैसा अपने खाते में मंगाने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

साइबर ठगी की रकम खाते में मंगाकर एटीएम से निकासी कर कमीशन रखता था, शेष धनराशि साथी साइबर अपराधी को सौंप देता था

अभियुक्त के खाते के विरुद्ध गुजरात राज्य की एनसीआरपी शिकायत में ₹13.74 लाख की साइबर ठगी का प्रकरण लिंक, मोबाइल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन तथा थाना साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक विभा पाण्डेय के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

घटना एवं गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:

प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या **31104260072177** की जांच के दौरान संदिग्ध बैंक खाता संख्या **39938214534** के खाताधारक **रामाश्रय सरोज पुत्र रामपलट सरोज निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़** को पूछताछ हेतु थाना साइबर क्राइम बुलाया गया। पूछताछ, बैंक खाते के स्टेटमेंट एवं तकनीकी विश्लेषण में अभियुक्त अपने साथी **गुड्डू कुमार** के साथ साइबर अपराध में संलिप्त पाया गया। अभियुक्त अपने बैंक खाते में इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी की धनराशि प्राप्त कर एटीएम से नकद निकासी करता था तथा अपना कमीशन रखने के बाद शेष धनराशि अपने साथी को दे देता था। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्त को दिनांक **08.07.2026** को समय करीब **17:20 बजे** गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान अभियुक्त के खाते के विरुद्ध **गुजरात राज्य की 01 एनसीआरपी शिकायत** प्राप्त हुई, जिसमें **इन्वेस्टमेंट के नाम पर ₹13,74,000 की साइबर ठगी** किया जाना पाया गया। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर **मु0अ0सं0 29/2026** धारा **318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

अभियुक्त ने अपने बैंक खाते की सुविधा अपने साथी साइबर अपराधी को उपलब्ध कराई थी। साथी द्वारा साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि अभियुक्त के खाते में मंगाई जाती थी। अभियुक्त एटीएम से नकदी निकालकर अपना कमीशन रखता था तथा शेष रकम साथी को सौंप देता था। इस प्रकार दोनों मिलकर साइबर ठगी से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. रामाश्रय सरोज पुत्र रामपलट सरोज निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

वांछित अभियुक्त:

1. गुड्डू कुमार पुत्र मिथलेश कुमार निवासी ग्राम बेलदारीपर, जनपद नालंदा, बिहार।

बरामदगी:

➡ 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (खाते से लिंक सिम सहित)

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 29/2026, धारा 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

निरीक्षक विभा पाण्डेय, उ0नि0 रजत सिंह, हे0का0 सुखनन्दन यादव, का0 विशाल यादव, का0 कुंजबिहारी एवं म0का0 संज्ञा देवी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।